सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 85 / 2007 दायर दिनॉक 29.05..2007

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जीवणराम पुत्र बालुराम, 2. बोदूराम पुत्र शेराराम, समस्त,कौम–जाट, निवासी–मण्डाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. केसराराम पुत्र गोरधनराम, 2. रामचन्द्र पुत्र गोरधनराम, 3. रामेश्वर पुत्र गोरधनराम, 4. हणुताराम पुत्र गोरधनराम, 5. हरजीराम पुत्र गोरधनराम, 6. लिछमणराम पुत्र गोरधनराम, 7. सहीराम पुत्र गोरधनराम, 8. धन्नी पत्नी गोरधनराम, 9. सुवटी पुत्री भँवराराम, 10. गीता पुत्री भँवराराम, 11. सीता पुत्री भँवराराम, 12. तीजूड़ी पत्नी भँवराराम, 13. तुलछाराम पुत्र बालूराम, 14. नोलाराम पुत्र बालूराम, 15. मोहनराम पुत्र शेराराम, समस्त,कौम–जाट, निवासी–मण्डाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. कँवरी पुत्री उमाराम पत्नी जोधाराम, कौम–जाट, निवासी–सिमला, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. श्री राजेन्द्र माथुर, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 12 की ओर से।
3. श्री अशोक कुमार भाकर अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 की ओर से।
4. श्री हरदीनराम जाखड अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 16 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 15.02.2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी जीवणराम एवं उसके भाई प्रतिवादीगण संख्या 13, 14 तुलछाराम व नोलाराम एक ही परिवार के सदस्य हैं जो कि अलग–अलग ही रहते हैं व अलग–अलग ही कमाते–खाते हैं। वादी संख्या 01 बोदूराम व प्रतिवादी संख्या 15 मोहनराम दूसरे परिवार के सदस्य हैं। स्वर्गीय बालूराम के पिता का नाम आसुराम था।

साबिक खसरा नम्बर 25 रकबा 64.09 बीघा व खसरा नम्बर 41 रकबा 03.04 बीघा कुल रकबा 67.13 बीघा वाकै शरहद कापड़ोद के 1/3 भाग की भूमि को वक्त जागिर से बालूराम, शेराराम पि रामूराम जाट निवासी मण्डाबासनी ने व 1/3 भाग की भूमि को जोधा पुत्र हुक्मा कौम जाट निवासी मण्डाबासनी ने काश्त करना प्रारम्भ किया। इस कुल भूमि के 1/3 भाग की भूमि में जोधाराम ने साबिक खसरा नम्बर 25 की पश्चिम की ओर की 22 बीघा भूमि काश्त करते और शेष पश्चिम की 2/3 भाग की भूमि को बालूराम शेराराम दौनो काश्त करते थे।

सम्वत् 2006 का पर्चालगान संख्या 06 जो जारी किया गया में व उक्त दोनो खसरा नम्बरान के 2/3 भाग के खातेदार बालूराम रामूराम व शेराराम पुत्र आसूराम व 1/3 भाग का खातेदार जोधा पुत्र हुक्मा दर्ज है। नकल पेश है।

वक्त रिसैटलमेन्ट के सम्वत् 2018 में भू–प्रबन्ध के खसरा पत्रांक में भी कॉलम संख्या 22 में इन खसरा नम्बरान् के नये खसरा नम्बरान् 75 रकबा 02.16 बीघा व खसरा नम्बरान् 85 रकबा 62.05 बीघा व खसरा नम्बरान् 84 रकबा 21.17 बीघा व वाकै कापड़ोद की खातेदारी बालू पुत्र रामू व शेरा पुत्र आसु जाट मण्डाबासनी हिस्सा 2/3 भाग के बजाए 1/2 एवं जोधा पुत्र हुक्मा के 1/3 भाग के बजए 1/2 कतई गलत दर्ज कर दिया गया। इतना ही नहीं खसरा नम्बर 84 रकबा 21.17 बीघा पूर्व की ओर का 1/3 भाग का जोधा काश्तकार था की खातेदारी जोधा के अकेले के नाम से अंकित कर दी गयी इस खसरा की पश्चिम की जो 2/3 भाग की बालू पुत्र रामू व शेरा पुत्र आसु काश्त करते थे में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उत्तर की ओर 13 बीघा भूमि एक उमा वल्द रूड़ाराम की शरीक करते हुए खसरा नम्बर 85 रकबा 62.05 बीघा का 1/2 भाग बालू पुत्र रामू व शेरा पुत्र आसु के व 1/2 जोधाराम पुत्र हुक्माराम के वजाए हुक्मा के नाम गलत खातेदारी में अंकित कर दिया गया। छाया प्रति पेश है।

वर्तमान खसरा नम्बर 85 रकबा 49.05 बीघा शरहद कापड़ोद में से उत्तर की ओर की 13 बीघा भूमि स्वर्गीय उमाराम पुत्र रूड़ाराम के कब्जाकाश्त की है जिस पर स्वर्गीय उमाराम अपने जीवनपर्यन्त काबिज रहा और उसके फौत होने के बाद मे इस पर उसकी पुत्री प्रतिवादीनी संख्या 16 कँवरी काबिज हैं। शेष 42.04 बीघा स्वर्गीय बालूराम, शेराराम के वारिशान् वादगीण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 के कब्जाकाश्त में हैं। इसी प्रकार से खसरा नम्बर 75 रकबा 02.16 बीघ वाकै कापड़ोद पर भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 काबिज हैं इसमें प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 का कभी कभी किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं रहा और न है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 व 16 की पैतृक कब्जाकाश्त की भूमि नें प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 का खातेदारी में गलत नाम अंकित रहने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 के जायज अधिकारों पर कुठाराघात होने की सम्भावना बन गयी है, इसलिए दावा पेश है।

चूँकि अब कृषि भूमि की कीमतें बढ जाने से एवं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 की पैतृक कब्जाकाश्त की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 का नाम गलत अंकित होने से प्रतिवादीगण की नियत में लालच पैदा हो गया है वे लौगों को कहने लगे हैं कि भूमि तो उनके अकेले के नाम से खातेदारी में अंकित है मगर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 16 की भूमि में ही उनका 1/2 भाग में खातेदारी में अंकित है अतः इस भूमि को चाहे जिसे विक्रय करेंगे या हस्तानान्तरण करेंगे। प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है इससे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 व 16 को अजहद नुकशान होने की सम्भावना है जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से नहीं हो सकेगी। अतः दावा पेश करना लाजमी है।

यद्यपि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 का इस दावा में एक समान हित है मगर प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 इस

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वक्त सकूनत पर हाजिर नहीं होने से इस दावा मे उनको प्रफोर्मा प्रतिवादी बनाया गया है।

प्रार्थना वादीगण है कि—

शरहद कापड़ोद में खेत खसरा नम्बर 85 रकबा 62.05 बीघा की उत्तर की 13 बीघा भूमि स्वर्गीय उमाराम के कब्जाकाश्त की जो कि वर्तमान में उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या 16 के कब्जाकाश्त में है की खातेदारी प्रतिवादी कँवरी के नाम व शेष इस खसरा की 48.05 बीघा एवं खसरा नम्बर 75 रकबा 02.16 बीघा की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 के नाम से घोषित की जाकर के प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के नाम खातेदारी हटा करके तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 के हक में व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 17 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेष 06 नियम 17 स्वीकार किया गया। वकील प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 ने फार्म नम्बर 03 के साथ दस्तावेजात् के साथ जवाब दावा पेश किया।

प्रतिवादी संख्या 16 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 को न्यायाल में अवाजें लगाई गयी, हाजिर नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में निम्न तनकियात् कायम की गयीः—

1. आया वादीगण वर्तमान खसरा नम्बर 85 रकबा 62.05 बीघा वाकै शरहद कापड़ोद की उत्तर की 13 बीघा भूमि स्वर्गीय उमाराम के कब्जाकाश्त की जो कि वर्तमान में उसकी पुत्री प्रतिवादी संख्या 16 के कब्जाकाश्त में है, की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 16 कँवरी के नाम से व शेष इस खसरा की 42.04 बीघा भूमि व खसरा नम्बर 75 रकबा 02.16 बीघा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 के नाम से घोषित की जाकर के प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 का नाम खातेदारी से हटाया जावे।

जिम्मे वादीगण,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

2. आया प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 85 के किसी भी भू–भाग पर उमाराम अथवा उसकी पुत्री का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा।

जिम्मे प्रतिवादीगण,

3. आया प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 85 रकबा 62.05 बीघा व खसरा नम्बर 75 रकबा 02.16 बीघा कुल रकबा 65.01 बीघा पर सदैव से वादीपक्ष व प्रतिवादीपक्ष का 1/2, 1/2 हिस्सा कब्जाकाश्त रहा है।

जिम्मे प्रतिवादीगण,

4. अनुतोष?

साक्ष्य वादी में वादी जीवणराम, गवाहान्–हनुमानराम, मेघाराम व जेठाराम ने शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए व PW–01 जीवणराम, PW–02 हनुमानराम, PW–03 मेघाराम व PW–04 जीवणराम के बयानात् पेश हुए।

साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी केसाराम, हणुताराम गवाहान्–मानसिंह, रामसिंह के शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के पेश हुए। वकील श्री कमल किशोर मोठ जो कि मौका कमीश्नर नियुक्त किये गये थे, का शपथ–पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी वकील ने आदेश 18 नियम 01(ए)(3) सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र पेश किया। DW–01 केसराराम, DW–02 हणुताराम, DW–03 कमलकिशोर मोठ, DW–04 मानसिंह व DW–05 मनोहरदास के बयानात् पेश हुए।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ–पत्र एवं खसरा पत्रक प्रदर्श–01, पर्चा तजवीज लगान प्रदर्श–02ए, पट्टा प्रदर्श–03, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम कापड़ोद प्रदर्श–04, जमाबन्दी ग्राम कापड़ोद सम्वत् 1965–66 प्रदर्श–05 पेश है।

प्रतिवादीगण ने पत्र की प्रति प्रदर्श– ए1/1, खसरा पत्रक प्रदर्श–ए2, जमाबन्दी ग्राम काप़ड़ोद सम्वत् 2035–38 प्रदर्श–ए3, जमाबन्दी ग्राम काप़ड़ोद सम्वत् 2047–50 प्रदर्श–ए4, जमाबन्दी ग्राम काप़ड़ोद सम्वत् 2038–41 प्रदर्श–ए5, जमाबन्दी ग्राम काप़ड़ोद सम्वत् 2047–50 प्रदर्श–ए6, जमाबन्दी ग्राम काप़ड़ोद सम्वत् 2065–66 प्रदर्श–ए7, जमाबन्दी ग्राम काप़ड़ोद सम्वत् 2059–62 प्रदर्श–ए8, जमाबन्दी ग्राम काप़ड़ोद सम्वत् 2038–41 प्रदर्श–ए9, एफ.आई.आर. की प्रति प्रदर्श–ए10, एफ.आई.आर. की प्रति प्रदर्श–ए11, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श–ए12, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श–ए13, फोटो ग्राफ्स प्रदर्श–ए14 से ए22 तक, मांग पत्र प्रदर्श 23/1, बिगोड़ी की रसीदें प्रदर्श–24/1 से 27/1, मौका कमीश्नर रिपोर्ट

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

प्रदर्श-28/1, मौका कमीश्नर द्वारा पेश नजरीनक्शा प्रदर्श-29/1, पेश है।

विद्वान वकुलाय उभयपक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। वकील ने निवेदन किया कि वादग्रस्त खेताय की खातेदारी 2/3 वादी के व 1/3 प्रतिवादीगण के रही है व इसी अनुसार दावा डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवागण ने निवेदन किया कि वक्त सैटलमेन्ट से उक्त खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य 1/2 – 1/2 है जो आज दिनाँक तक वर्तमान खातेदारी में दर्ज है अतः दावा खारिज किया जावे। मजमें आम में भू-अभिलेख निरीक्षक कोलिया से उक्त जायगा के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से अवगत होता है कि, वादग्रस्त जायगा में पक्षकारान् 1/2 – 1/2 हिस्सों पर काबिज हैं।

वाद में मजीद बहस विद्वान वकुलाय सुनी गयी जिसमें वकुलाय ने अपने-अपने पक्ष में तर्क पेश किये। विद्वान वकील प्रतिपक्ष का कथन है कि, हस्तगत वाद सैटलमेन्ट के तीस साल बाद है इसलिए वादीगण द्वारा यह वाद पेश करने का काई विधिक व सारवान औचित्य नहीं है इसलिए वाद काबिल खारिज होने से खारिज किया जावे। विद्वान वकुलाय की मजीद बहस के तर्कों पर मनन् व विश्लेषण किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिसमें प्रदर्श-04 में कॉलम नम्बर 06 में बालू व शेरा वल्द रामू जाट का 2/3 हिस्सा व जोधा वल्द हुक्मा 1/3 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार प्रदर्श-01 के कॉलम संख्या 22 में भी बालू व शेरा पिसरान रामू जाट का 2/3 व जोधा वल्द हुक्मा जाट का 1/3 अंकित किया हुआ है। उक्त प्रदर्श-01 दस्तावेज के कॉलम संख्या 23 में बालू शेरा पिता रामू के 1/2 व हुक्मा के 1/2 हिस्सा दर्ज किया हुआ है। हस्तगत वाद में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्या से वादग्रस्त खेत की भूमि पर 2/3 हिस्से पर काबिज साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। साक्ष्य को विवेचन करने से यह स्थिति आती है कि वादग्रस्त खेताय पर वादीगण का 1/2 हिस्से पर कब्जाकाश्त है। प्रतिवादीगण की ओर से पेश दस्तावेज प्रदर्श-ए1/1 लगायत प्रदर्श-ए29/1 के अवलेकन से वादीगण व प्रतिवादीगण का 1/2 – 1/2 हिस्से पर कब्जा प्रमाणित हो जाता है। इस प्रकार से प्रदर्श-01 में कॉलम संख्या 22 में अंकित बालू व शेरा पिता रामू जाट का 2/3 हिस्स गलत अंकन कर फायदा वादीगण प्राप्त नहीं कर सकते।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादीगण को अपना वाद साबित करना था परन्तु वादग्रस्त खेत के 1/2 भाग पूर्व की ओर पर ही वादीगण का कब्जा साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होता है तथा पश्चिमी 1/2 भाग पर कब्जाकाश्त प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 का प्रमाणित होता है। इस प्रकार वादीगण अपना वाद साबित करने में पूर्णरूप से विफल रहे हैं।

हस्तगत वाद सैटलमेन्ट से लगभग तीस वर्ष बाद वादीगण द्वारा पेश किया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में वाद वादीगण पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना हमारे मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

हस्व दावा सारहीन, आधारहीन होने पर पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 85/2007 दायर दिनाँक 29.05.2007

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. जीवणराम पुत्र बालुराम, 2. बोदूराम पुत्र शेराराम, समस्त,कौम–जाट, निवासी–मण्डावासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. केसराराम पुत्र गोरधनराम, 2. रामचन्द्र पुत्र गोरधनराम, 3. रामेश्वर पुत्र गोरधनराम, 4. हणुताराम पुत्र गोरधनराम, 5. हरजीराम पुत्र गोरधनराम, 6. लिछमणराम पुत्र गोरधनराम, 7. सहीराम पुत्र गोरधनराम, 8. धन्नी पत्नी गोरधनराम, 9. सुवटी पुत्री भँवराराम, 10. गीता पुत्री भँवराराम, 11. सीता पुत्री भँवराराम, 12. तीजूडी पत्नी भँवराराम, 13. तुलछाराम पुत्र बालूराम, 14. नोलाराम पुत्र बालूराम, 15. मोहनराम पुत्र शेराराम, समस्त,कौम–ज़ाट, निवासी–मण्डाबासनी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 16. कँवरी पुत्री उमाराम पत्नी जोधाराम, कौम–जाट, निवासी–सिमला, तहसील–लाडनूँ, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **15.02.2019**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री राजेन्द्र माथुर, अधिवक्ता, वादीगण व श्री मोहम्मद इकबाल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 12 को ओर से व श्री अशोक कुमार भाकर अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 15 की ओर से व श्री हरदीनराम जाखड अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 16 ओर से मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा सारहीन, आधारहीन होने पर पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत.............

.......–...................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के
आज की तारीख **15.02.2019** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना(नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना(नागौर)

Scanned by CamScanner